पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ-एनईआर) संबंधी उच्चाधिकारप्राप्त समिति (ईसी) की 28.8.2009 को कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक I पर प्रस्तुत है।

2. बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का स्वागत करते हुए श्री नीरज कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने यह सूचित किया कि अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियां/सिफारिशें/रिपोर्टें एपीडा/राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं जिन पर उच्चाधिकारप्राप्त समिति की बैठक के अधीन विचार किए जाने की जरूरत है। ईडीएफ-एनईआर का एक शीर्षस्थ निकाय होने के नाते एपीडा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव की व्यावसायिक तरीके से जांच करे तथा परियोजना की प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता, प्रवर्तकों के हित तथा आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख जानकारी/सिफारिशें प्रस्तुत करें जिससे कि परियोजनाओं पर विचार करते समय अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। श्री गुप्ता ने यह उल्लेख किया कि एपीडा अपनी भूमिका का समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर रहा है। उन्होंने इसी क्रम में यह कहा कि राज्य सरकारों/एपीडा/संबंधित एजेंसियों द्वारा वचनबद्धताएं किए जाने के बावजूद ईडीएफ मार्गनिर्देशों/जांच फोरमैट/ईसी बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

3. अध्यक्ष, श्री पी. के. चौधरी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग ने संयुक्त सचिव (एनकेजी) के विचारों की सराहना की और यह कहा कि एपीडा जिसे ईडीएफ-एनईआर के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में नामित किया गया है, प्रस्तावों की व्यावसायिक ढंग से जांच और मूल्यांकन नहीं कर रहा है और इस प्रकार उच्चाधिकारप्राप्त समिति को निर्णय लेने में असमर्थ बना रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्यों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन प्रस्तावों की वे सिफारिश कर रहे हैं वे राज्यों में निर्यात संवर्द्धन में सहायता करेंगे और स्वीकृत निधियां सही तरीके से खर्च की जाएंगी।

4. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यसूची में शामिल परियोजनाएं निम्नानुसार विचार किए जाने के लिए हाथ में ली गईं:

ए. स्थगित प्रस्तावः

क्रम संख्या	विवरण	
1.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/19/06	मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण
	प्रवर्तक	मेसर्स जांट्स चैरीटेबल सोसायटी लिमिटेड (जेसीएस), यूपिया, पापम पारा जिला
	द्वारा अनुशंसित	अरुणाचल प्रदेश सरकार, व्यापार और वाणिज्य विभाग
	परियोजना की पूरी लागत	पूर्व-लागत - 112.93 लाख रुपए संशोधित लागत 262.66 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	पूर्व-हिस्सा 27.88 लाख रुपए संशोधित 78.80 लाख रुपए (10.00 लाख रुपए के सावधि बैंक ऋण सहित)
	ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	पूर्व-85.05 लाख रुपए संशोधित 183.86 लाख रुपए

	निर्णय	अध्यक्ष, एपीडा को एनबीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीबी के साथ परामर्श/बैठक करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। **इसके अलावा एपीडा वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के बाद एपीडा दो सप्ताह के समय के भीतर अपनी सिफारिशें भेजेगा जिससे कि ईडीएफ-एनईआर के अधीन परियोजना पर विचार किया जा सके।**
2.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/22/07	एंथूरियम ग्रीन हाउस खेती (हाईटेक), नागालैंड
	प्रवर्तक	मेसर्स दि ब्लासम्स फ्लोरिस्ट सोसायटी (बीएफएस), नागालैंड
	द्वारा अनुशंसित	नागालैंड सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग
	परियोजना की पूरी लागत	262.94 लाख
	प्रवर्तक का हिस्सा	62.94 लाख/140.00 लाख
	ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	60 लाख रुपए
	निर्णय	इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर संबंधी ईसी की 12.1.2009 को हुई पिछली बैठक में विचार किया गया था। एपीडा द्वारा ईसी के समक्ष प्रस्तुत औचित्य के अनुसार यह परियोजना ईडीएफ से 60 लाख रुपए के योगदान के साथ मंजूर की गई। क्योंकि परियोजना के प्रस्तावों के साथ-साथ वित्तीय तथा आर्थिक चरणबद्धता तथा ईडीएफ की सहायता से सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों के विवरण प्रवर्तक के पास लंबित थे, इसलिए इस प्रस्ताव पर ईसी की आज की बैठक में पुनः विचार किया गया। **यह निर्णय लिया गया कि अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के बाद फाइल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।**
3.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/05/07	बड़ी इलायची के लिए सिक्किम में पहला प्रसंस्करण और निष्कर्षण यूनिट स्थापित करना
	प्रवर्तक	पर्वतीय विकास संस्थान
	द्वारा अनुशंसित	वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार
	परियोजना की पूरी लागत	253.75 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	25.00 लाख रुपए
	ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	225.00 लाख रुपए

	निर्णय	इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर संबंधी ईसी की 12.1.2009 को हुई पिछली बैठक में विचार किया गया था। एपीडा द्वारा ईसी के समक्ष प्रस्तुत औचित्य के अनुसार यह परियोजना ईडीएफ से 60 लाख रुपए के योगदान के साथ मंजूर की गई। यह निर्णय लिया गया कि एपीडा परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि केवल 30% तक के अनुदान पर विचार किया जाएगा। एपीडा अपने मूल्यांकन के बाद विभिन्न घटकों की लागत सुझाएगा जोकि परियोजना की कुल लागत के 30% तक सीमित होगी, जिसके संबंध में ईडीएफ से सहायता पर विचार किया जा सकता है। **यह निर्णय लिया गया है कि एपीडा परियोजना का वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन करेगा और इस आशय की अपनी सुस्पष्ट सिफारिशें देगा कि क्या यह परियोजना ईसी के पूर्व निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहार्य है या नहीं।** **एपीडा की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद फाइल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।**
4.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/02/08-इंफ्रा-II	अदरक के तेल का निष्कर्षण संयंत्र अरुणाचल इंस्टीट्यूट आफ रिसोर्स मैनेजमेंट, नेहरालगन, पापंपारा जिला, अरुणाचल प्रदेश
	द्वारा अनुशंसित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की पूरी लागत	333.58 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	शून्य
	ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	333.58 लाख रुपए
	निर्णय	**मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया**
5.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/24/07-इंफ्रा-II	हाईटेक ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल्ड एटमोसफियर के अधीन एंथूरियम तथा गरबेरा कट फ्लावर की खेती
	द्वारा अग्रेषित	बागवानी विभाग, नागालैंड सरकार
	प्रार्थी	टांगपोक मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड
	परियोजना की लागत	279.02 लाख रुपए
	भूमि के मूल्य के बिना प्रवर्तक का हिस्सा	66.75 लाख रुपए
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	200.26 लाख रुपए

	निर्णय	इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर संबंधी ईसी की 12.1.2009 को हुई पिछली बैठक में विचार किया गया था। एपीडा द्वारा ईसी के समक्ष प्रस्तुत औचित्य के अनुसार यह परियोजना ईडीएफ से 60 लाख रुपए के योगदान के साथ मंजूर की गई। इस परियोजना को ईडीएफ की सहायता कुल लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित किए जाने सहित सिद्धांत रूप में मंजूरी प्रदान कर दी गई। यह निर्णय लिया गया कि निधियां बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किए जाने तथा प्रवर्तक द्वारा, बाकी रकम के लिए बैंक द्वारा ऋण मंजूर किए जाने संबंधी मंजूरी पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा इस परियोजना प्रस्ताव की फाइल में जांच की गई और 29.5.2009 को ईडीएफ योगदान के रूप में 40 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस परियोजना पर आज की बैठक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रवर्तक/राज्य सरकार खर्च के घटक-वार ब्यौरों सहित परियोजना की स्थिति से अवगत कराएगा। **स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ईडीएफ का बाकी योगदान प्रदान किए जाने के संबंध में फाइल पर निर्णय लिया जाएगा।**
6.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/29/07-इंफ्रा-II	रंगछोलिबा मल्टीपरपज सोसायटी, नागालैंड द्वारा निर्यात के लिए नागा किंग चिल्ली की कार्बनिक खेती
	द्वारा अनुशंसित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की पूरी लागत	76,17,000/- रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	भूमि + 76,17,000/- कुल बजट का 10%
	ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	68,55,300/- रुपए
	परियोजनाओं का आईआरआर आईआरआर (पीएटी पर) आईआरआर (पीबीटी पर)	
	निर्यात बाजार	
	निर्णय	**मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया**
7.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/30/07-इंफ्रा-II	के. जे. सोसायटी, कोहिमा, नागालैंड द्वारा निर्यात के लिए नागा किंग चिल्ली की कार्बनिक खेती
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	76,17,000/- रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	भूमि + 76,17,000/- कुल बजट का 10%
	अनुदान सहायता के लिए प्रार्थित राशि	68,55,300/- रुपए
	परियोजना का आईआरआर	निर्दिष्ट नहीं किया गया
	निर्णय	**मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया**
8.	प्रस्ताव का नाम फा. संख्या 27/04/08-इंफ्रा-II	फाईबंग सहनामाई डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा निर्यात के लिए नृजातीय हथकरघा उत्पादों का प्रोत्साहन
	द्वारा अग्रेषित	वार्णिज्य और उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार
	परियोजना की लागत	126.96 लाख रुपए

	प्रवर्तक का हिस्सा	34.49 लाख रुपए (वर्ष 2008-09 में 8.51 लाख रुपए वर्ष 2009-10 में 25.98 लाख रुपए)
	अनुदान सहायता के लिए प्रार्थित राशि	92.47 लाख रुपए (वर्ष 2009-10 में)
	परियोजना का आईआरआर (पीएटी आधार) (पीबीटी आधार)	 31.15% 35.15%
	निर्णय	**मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया**

बी. नए प्रस्ताव (पिछली ईडीएफ बैठक के बाद प्राप्त)

असम

		विवरण
1.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/18/2008-इंफ्रा-II	मेसर्स प्रहार, असम द्वारा पतचोली आयल इंडस्ट्री संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	निर्णय	**मामले को बंद करने का निर्णय लिया गया**

अरुणाचल प्रदेश

		विवरण
2.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/02/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	320 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	71.00 लाख रुपए (22.19%)
	सावधि ऋण (दि विजया बैंक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश)	25.00 लाख रुपए (7.81%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	224.00 लाख रुपए (70%)
	निर्णय	एपीडा को वाणिज्य मंत्रालय के बारह सूत्री जांच प्रपत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक/राज्य सरकार के साथ तालमेल करना चाहिए। **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
3.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/05/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स पेज नालो फार्मर वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा समेकित मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण के लिए परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	407.00 लाख रुपए

	प्रवर्तक का हिस्सा	122.10 (30.00%)
	सावधि ऋण (दि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरीगुन, अरुणाचल प्रदेश)	162.80 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	122.10 लाख रुपए (30.00%)
	निर्णय	अध्यक्ष, एपीडा को एनबीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीबी के साथ परामर्श बैठक में इस मामले का समाधान करना चाहिए। **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए दो सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा।**
4.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/06/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स सी-डोनिल एनपीसीएस लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश द्वारा नागा किंग चिल्ली संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	400.00 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	120.00 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरीगुन, अरुणाचल प्रदेश)	160.00 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	120.00 लाख रुपए (30.00%)
	निर्णय	**एपीडा को मसाला बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त करनी चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
5.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/08/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स केडीबीज वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा संतरे की खेती और प्रसंस्करण यूनिट
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	427.65 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	128.29 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरीगुन, अरुणाचल प्रदेश)	171.06 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	128.30 लाख रुपए (30%)

	निर्णय	**एपीडा को उनके द्वारा मांगी गई अपेक्षित टिप्पणियां प्राप्त करने के वास्ते प्रवर्तक/राज्य सरकार के साथ तालमेल करना चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
6.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/09/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स मोशन वेलफेयर सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा बैंबू शूट खेती संबंधी परियोजना प्रस्ताव - ईडीएफ-एनईआर सहायता
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	430.00 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	129.00 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरीगुन, अरुणाचल प्रदेश)	172.00 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	129.00 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	**एपीडा को उनके द्वारा मांगी गई अपेक्षित टिप्पणियां प्राप्त करने के वास्ते प्रवर्तक/राज्य सरकार के साथ तालमेल करना चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
7.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/10/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
	परियोजना की लागत	262.66 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	78.80 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाहरीगुन, अरुणाचल प्रदेश)	105.06 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	78.80 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	**अध्यक्ष, एपीडा को एनबीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीबी के साथ परामर्श बैठक में इस मामले का समाधान करना चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए दो सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा।**

नागालैंड

8.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/04/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स अतुनाकुघा एमपीसीएस लिमिटेड, नागालैंड द्वारा एकीकृत मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	400 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	120.00 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, दीमापुर, नागालैंड)	160.00 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	120.00 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	**अध्यक्ष, एपीडा को एनबीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीबी के साथ परामर्श बैठक में इस मामले का समाधान करना चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए दो सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा।**
9.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/13/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नागालैंड द्वारा संतरों की खेती और प्रसंस्करण यूनिट संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	410.00 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	123.00 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, दीमापुर, नागालैंड)	54.74 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	232.26 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	एपीडा को वाणिज्य मंत्रालय के बारह सूत्री जांच प्रपत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक/राज्य सरकार के साथ तालमेल करना चाहिए। **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
10.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/14/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स सुरहो पिगरी मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नागालैंड द्वारा मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण संबंधी परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	262.66 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	78.80 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, दीमापुर, नागालैंड)	105.06 लाख रुपए (40.00%)

	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	78.80 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	**अध्यक्ष, एपीडा को एनबीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीबी के साथ परामर्श बैठक में इस मामले का समाधान करना चाहिए।** **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए दो सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा।**
11.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/15/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स ट्राइबल विमन वेलफेयर सोसायटी, नागालैंड द्वारा अदरक की खेती और प्रसंस्करण यूनिट संबंधी परियोजना रिपोर्ट
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	200.00 लाख रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	60.00 लाख रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, दीमापुर, नागालैंड)	80.00 लाख रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	60.00 लाख रुपए (30%)
	निर्णय	**इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**
12.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/17/2009-इंफ्रा-II	मेसर्स चैम एमपीसीएस लिमिटेड, नागालैंड द्वारा हल्दी की खेती, प्रसंस्करण के लिए परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	उद्योग और वाणिज्य विभाग, नागालैंड सरकार
	परियोजना की लागत	204,53,000.00 रुपए
	प्रवर्तक का हिस्सा	61,36,000.00 रुपए (30.00%)
	सावधि ऋण (दि नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक, मुख्य शाखा, दीमापुर, नागालैंड)	81,81,000.00 रुपए (40.00%)
	अनुदान सहायता के रूप में प्रार्थित राशि	61,36,000.00 रुपए (30%)
	निर्णय	एपीडा को दिनांक 27 जुलाई, 2009 के पत्र संख्या 27/17/2009-इंफ्रा-II में मांगी गई टिप्पणियां/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक/राज्य सरकार के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए। **इसके अलावा एपीडा को वित्तीय तथा तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद एपीडा इस परियोजना पर ईडीएफ-एनईआर के अधीन विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।**

मिजोरम

13.	परियोजना का नाम फा. संख्या 27/03/2009-इंफ्रा-II	आईजोल, मिजोरम में आर एंड डी केन्द्र - सह-प्रशिक्षण संस्थान सह-खाद्य/फल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव
	द्वारा अग्रेषित	व्यापार और वाणिज्य विभाग, मिजोरम सरकार
	परियोजना की लागत	500 लाख रुपए
	अनुदान सहायता की लिए प्रार्थित रकम	500 लाख रुपए (100%)
	निर्णय	राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया है कि उन्होंने जांच प्रपत्र के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। **यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की फाइल पर जांच की जाएगी और उसे विचार किए जाने के लिए ईसी की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।**

सी. जिस ईडीएफ के संबंध में फाइल पर मंजूरी प्रदान की जा चुकी है उसके बारे में उच्चाधिकारप्राप्त समिति द्वारा संपुष्टि/कार्योत्तर मंजूरी के लिए अपेक्षित प्रस्ताव

1.

प्रस्ताव का नाम **फा संख्या 27/03/07**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र से कार्बनिक उत्पादों का निर्यात**
प्रवर्तक	मेसर्स नागा इंडीजनस फूड्स, कोहिमा
द्वारा अनुशंसित	नागालैंड सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग
खि	296.44 लाख
प्रवर्तक का हिस्सा	44.47 लाख + ऋण 59.3 लाख का बैंक ऋण
ईडीएफ के अधीन प्रार्थित अनुदान	193.00 लाख

88 लाख रुपए के कुल ईडीएफ अनुदान सहित यह परियोजना प्रस्ताव फाइल पर मंजूर की गई और दिनांक 29.8.08 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 44.00 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान की गई। क्योंकि यह प्रस्ताव फाइल पर मंजूर किया गया था और उच्चाधिकारप्राप्त समिति की कार्योत्तर मंजूरी अपेक्षित थी जिस कारण इसे 12.1.2009 को हुई ईसी बैठक के समक्ष रखा गया।

इसके अलावा इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि 88.00 लाख रुपए कि कुल अनुमोदित ईडीएफ सहायता में से 44.00 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान किए जाने के बाद प्रवर्तक ने नीचे तालिका में दिए अनुसार संशोधित लागत ढांचा प्रस्तुत किया।

वित्त के साधन	**पूर्व में प्रस्तावित**	**पुनः समंजन**
केन्द्रीय सरकार सहायता	192,69,182.00 रुपए	88.00 लाख रुपए (ईडीएफ के अधीन अनुमोदित)
बैंक ऋण	59,28,979.00 रुपए	60.00 लाख रुपए
प्रवर्तक का हिस्सा	44,46,734.00 रुपए	30.40 लाख रुपए
कुल परियोजना लागत	2,96,44,895.00 रुपए	178.40 लाख रुपए

इस मुद्दे पर 12.1.2009 को आयोजित ईसी की पिछली बैठक में भी विचार किया गया था।

ईडीएफ-एनईआर के संबंध में 12 जनवरी, 2009 को आयोजित ईसी की पिछली बैठक में लिया गया निर्णय	मसाला बोर्ड/आरसी नागालैंड ने पुनः समंजित परियोजना की व्यवहार्यता के संबंध में 15 दिन के भीतर टिप्पणियां भेजने को कहा है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर एपीडा को सिफारिशें करनी होंगी जिसके बाद इस मुद्दे पर फाइल पर विचार किया जाएगा।
निर्णय	शुरू में परियोजना की कुल लागत 2,96,44,895/- रुपए थी। इस परियोजना प्रस्ताव को 88.00 लाख रुपए के कुल ईडीएफ अनुदान सहित फाइल पर मंजूरी प्रदान की गई और 44.00 लाख रुपए की पहली किस्त पहले ही प्रदान की जा चुकी है। कुल अनुमोदित ईडीएफ सहायता अर्थात 88.00 लाख रुपए में से पहली किस्त के रूप में 44.00 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने के बाद प्रवर्तक ने परियोजना की कुल लागत 296.45 लाख रुपए की जगह 178.40 लाख रुपए के रूप में बदल दी। **एपीडा को संशोधित प्रस्ताव/परियोजना की संशोधित लागत का मूल्यांकन करना है और परियोजना की व्यवहार्यता तथा ईडीएफ-एनईआर से बाकी योगदान प्रदान किए जाने के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें सूचित करनी है।** **अंतिम निर्णय फाइल पर लिया जाएगा।**

2. व्यापारियों के लिए मोरे में एकीकृत व्यापार सूचना और आवास सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव की कार्योत्तर मंजूरी (फा संख्या 27/12/2006 इंफ्रा-II)

मोरे में व्यापारियों के लिए एकीकृत व्यापार सूचना और आवास सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव पर 12.10.2006 को आयोजित ईडीएफ संबंधित ईसी समिति द्वारा विचार किया गया और मंजूरी प्रदान की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार के पास आधारिक सुविधा विकास और संबद्ध क्रियाकलापों (एसाइड) के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम के अधीन आवश्यक निधियां उपलब्ध नहीं है तो परियोजना के निष्पादन के लिए 370 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहायता ईडीएफ के अधीन प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा मणिपुर सरकार ने यह सूचित किया था कि एसाइड योजना के अधीन कोई भी अव्ययित बकाया राशि उपलब्ध नहीं है और इसलिए इस विभाग ने इस परियोजना के लिए ईडीएफ योजना के अधीन 370 लाख रुपए की निधियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

इस विभाग ने पहली किस्त के रूप में मणिपुर सरकार को 185.00 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी है।

दूसरी किस्त प्रदान करते समय आईएफडी प्रभाग ने यह सलाह दी कि 370 लाख रुपए की मंजूरी और साथ ही 185 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान किए जाने की कार्योत्तर मंजूरी के लिए इस मामले को उच्चाधिकारप्राप्त समिति की अगली बैठक में रखा जाए क्योंकि राज्य सरकार को निधियों के आबंटन/प्रदान किए जाने संबंधी अंतिम निर्णय फाइल पर लिया गया था।

निर्णयः ईसी ने कार्योत्तर मंजूरी प्रदान कर दी

3. अंतर्देशीय परिवहन सहायता (आईटीए) (फा. संख्या 27/17/2002-इंफ्रा-II)

एपीडा के अनुरोध पर पूर्वोत्तर क्षेत्र से बागवानी उत्पादों के लिए अंतर्देशीय परिवहन सहायता (आईटीए) फाइल पर मंजूर कर दी गई है और उसकी अवधि 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दी गई है।

निर्णयः ईसी ने कार्योत्तर मंजूरी प्रदान कर दी

डी. एपीडा द्वारा 3% अधिक प्रासेसिंग फीस की वापसी

ईडीएफ-एनईआर संबंधी ईसी की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एपीडा को अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में केवल 2 प्रतिशत की दर से प्रोसेसिंग प्रभार लेने चाहिए। तदनुसार एपीडा को निम्न दो परियोजनाओं के संबंध में अधिक लिए गए प्रोसेसिंग प्रभार वापिस करने का अनुरोध किया गया था।

क्रम संख्या	परियोजनाएं	स्थिति
1.	मेसर्स त्रिपुरा फारेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, 2008 द्वारा रबरवुड आधारित डोर मैनुफैक्चरिंग यूनिट **(फा. संख्या 27/09/07-इंफ्रा-II)**	3% अधिक ली गई प्रोसेसिंग फी की वापसी के संबंध में एपीडा का कोई उत्तर नहीं आया
2.	आर्टफेड स्वालकुची, असम द्वारा सेंटर फार प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट आफ एक्सपोर्टेबल हैंड वुवन सिल्क प्रोडक्ट्स की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव **(फा. संख्या 27/34/2004-इंफ्रा-II)**	एपीडा ने दिनांक 29.5.2009 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि उन्होंने 3% की जो अधिक प्रोसेसिंग फी ली थी वह आर्टफेड को वापिस कर दी है।
	निर्णय	यह मामला बंद कर दिया गया क्योंकि एपीडा के प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया कि 3% की जो अधिक प्रोसेसिंग फी ली गई है वह उपर्युक्त दोनों प्रवर्तकों को वापिस की जा चुकी है।

ई. हस्तशिल्पों के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए 11 लाख रुपए की निधियों का विचलन (फा संख्या 27/25/2002-इंफ्रा-II)

पूर्वोत्तर हस्तशिल्पों के आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए हस्तशिल्पों की निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) के एक परियोजना प्रस्ताव को 3.1.2003 को आयोजित ईडीएफ संबंधी ईसी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई (परियोजना की कुल लागत 4.15 करोड़ थी जिसे घटाकर 4.04 करोड़ रुपए कर दिया गया)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने एसाइड योजना संबंधी अपनी निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 6.2.3 में इस बात का उल्लेख किया है कि ईपीसीएच ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए 11 लाख रुपए की राशि का विचलन किया जोकि ईडीएफ से आर्थिक सहायता के लिए अनुमोदित परियोजना की एक स्वीकृत मद नहीं थी। लेखा-परीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने दिनांक 8.10.2008 के अपने पत्र संख्या 27/25/2002-इंफ्रा-II के माध्यम से ईपीसीएच को ब्याज सहित 11.12 लाख रुपए की राशि इस विभाग को वापिस करने का अनुरोध किया।

निर्णयः हस्तशिल्प संबंधी निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) ने बैठक के दौरान और आगे स्पष्टीकरण दिया है। यह निर्णय लिया गया कि उस पर फाइल में विचार किया जाएगा और यदि उसे उचित पाया गया तो यह मामला लेखा-परीक्षा के साथ उठाया जाएगा।

इसके अलावा इस मुद्दे की फाइल पर जांच की गई और पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऐसे निर्यातकर्ताओं के संबंध में ईपीसीएच से ब्यौरे मंगाने का निर्णय लिया गया जिनके खर्चे 11.12 लाख रुपए में से किए गए थे जिसके साथ-साथ इन निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के ब्यौरे भी मांगे गए थे। तदनुसार ईपीसीएच को दिनांक 27.2.2009 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया। ईपीसीएच ने निर्यातकर्ताओं तथा प्रदर्शित उत्पादों के ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को खर्चे को नियमित करने अथवा अंततः इसे नामंजूर किए जाने के संबंध में ईपीसीएच के अनुरोध पर ईडीएफ-एनईआर संबंधी ईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अंतिम निर्णयः ईपीसीएच को ब्याज सहित 11.12 लाख रुपए की राशि तत्काल इस विभाग को वापिस करनी होगी।

एफ. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या	परियोजना	राज्य/एजेंसी	मंजूरी का वर्ष	स्वीकृत राशि (रुपए लाखों में)	प्रदान की गई राशि (रुपए लाखों में)	परियोजना की स्थिति	फाइल संख्या	यूसी की स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में बोमडिल्ला में मंजूर की गई परियोजना के अनुरूप हथकरघा निर्यात के लिए मार्गदर्शी परियोजना की पुनरावृत्ति	मेसर्स एपी हैंडलूम डेवलपमेंट सर्विसेज, अपर सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	2003-04	213.00	213.00	परियोजना प्रगति पर है	27/4/03-इंफ्रा-II	121.00 लाख रुपए की राशि 23.2.04 को मंजूर की गई थी, यूसी प्राप्त हो गया है। **92.00 लाख रुपए की दूसरी किस्त 20.8.04 को मंजूर की गई थी। यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।** एपीडा ने यह सूचित किया है कि केवल 121.00 लाख रुपए राशि प्रदान की गई है।
2.	नागालैंड में निर्यात के लिए अदरक की फार्मिंग/खेती	मेसर्स केनी मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोहिमा, नागालैंड	2004-05	43.04	43.04	परियोजना पूरी कर ली गई	27/12/04-इंफ्रा-II	6 दिसंबर, 2004 को 43.04 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यूसी लंबित है।
3.	नागालैंड में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास के लिए परियोजना	मेसर्स पुसाजो लूरियो, प्रोपराइटर, मिशन कंपाउंड, जिला फेक, नागालैंड	2004-05	49.00	49.00	परियोजना प्रगति पर है	27/7/04-इंफ्रा-II	22 दिसंबर, 2004 को 49.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यूसी लंबित है।
4.	नागालैंड में बैंबू शूट प्रसंस्करण की परियोजना	मेसर्स ग्लोबल वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड	2004-05	115.16	115.16	ब्यौरों की प्रतीक्षा है	27/8/04-इंफ्रा-II	3 फरवरी, 2005 को 115.16 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	गुवाहाटी, असम में पटकई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परियोजना	मेसर्स पटकई हर्ब्स एंड स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड, असम	2004-05	207.37	207.37	परियोजना प्रगति पर है	27/16/04-इंफ्रा-II	अतिरिक्त वित्तपोषण (59.50 लाख रुपए) के लिए यूसी की प्रतीक्षा है।

	अतिरिक्त वित्तपोषण		2007-08	59.50	59.50		27/6/07-इंफ्रा-II	
6.	नागालैंड मे निर्यात के लिए डिब्बाबंद मशरूम के उत्पादन के लिए परियोजना प्रस्ताव	मेसर्स टिरेनस कम्यूनिटी एमपीसीएस लिमिटेड, फुटसेरो, नागालैंड	2005-06 2007-08	89.53	44.00 34.82		27/8/03-इंफ्रा-II	दूसरी किस्त (34.82 लाख रुपए) के लिए यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।
7.	मणिपुर में निर्यात, रोजगार और आय सृजन के लिए एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास संबंधी परियोजना प्रस्ताव	मेसर्स शिवेलरी पावर्टी एलिविएशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर	2005-06 2007-08	75.55	38.00 37.55	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है	27/5/05-इंफ्रा-II	38 लाख रुपए की पहली किस्त जून, 2005 में प्रदान की गई। यूसी प्राप्त हो गया। **37.55 लाख रुपए की दूसरी किस्त 20 नवंबर, 2007 को प्रदान की गई। यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।**
8.	मणिपुर में 2 टीपीएच पैशन फल प्रसंस्करण के लिए निर्यात प्रोत्साहन आधारिक तंत्र के वास्ते परियोजना	मेसर्स एक्सोटिक जूसेस लिमिटेड, मणिपुर	2005-06 2008-09	250.00	166.00 84.00	चालू की जा रही है	27/3/03-इंफ्रा-II	पहली किस्त के लिए यूसी प्राप्त हो चुका है, दूसरी किस्त 2.2.2009 को प्रदान की गई। **यूसी की प्रस्तुति की तारीख 31.3.2010 है।**
9.	नाथुला में सीमा व्यापार मार्ट में आधारिक सुविधा विकास कार्यों के कारण पैदा होने वाली लंबित देयताओं की पूर्ति के वास्ते सिक्किम सरकार को वित्तीय सहायता	सिक्किम सरकार	2006-07 2007-08	106.24 5.72	106.24 5.72	परियोजना पूरी कर ली गई	27/25/06-इंफ्रा-II	106.24 लाख रुपए के लिए यूसी प्राप्त हो चुका है। **5.72 लाख रुपए के लिए यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।**

10.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्पों के आक्रामिक अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए परियोजना प्रस्ताव	हस्तशिल्पों के लिए मेसर्स निर्यात प्रोत्साहन परिषद, वसंत कुंज, नई दिल्ली	2006-07	75.00	75.00		27/4/06-इंफ्रा-II	ईसी, ईपीसीएच की बैठक से दो दिन पहले यूसी की प्रति प्रस्तुत की गई। इस यूसी के अनुसार ईपीसीएच ने यह सूचित किया है कि 59,91,928 रुपए की राशि का प्रयोग कर लिया गया है तथा बाकी 15,08,072 रुपए की राशि अभ्यर्पित कर दी गई है/समायोजित कर ली जाएगी। **क्योंकि ईपीसीएच द्वारा 59,91,928 रुपए के लिए यूसी प्रस्तुत किया गया है इसलिए ईपीसीएच को अव्ययित बाकी राशि ब्याज सहित तत्काल इस विभाग को लौटानी होगी।**
11.	रबर काष्ठ आधारित द्वार विनिर्माण यूनिट	त्रिपुरा फारेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	508.40	200.00	परियोजना चालू की जाने वाली है	27/9/07-इंफ्रा-II	पहली किस्त 7.3.2008 को प्रदान की गई। **यूसी 31.3.2009 तक प्राप्त होना था लेकिन वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।**
12.	स्वालकुची असम में निर्यातयोग्य हाथ के बुने सिल्क उत्पादों के प्रोत्साहन और विकास का केन्द्र स्थापित करना	असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिजंस कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	2008-09	90.85	52.80	कार्यान्वयन किया जा रहा है	27/34/04-इंफ्रा-II	52.80 लाख रुपए की पहली किस्त 29.9.2008 को प्रदान की गई। **यूसी 31.3.2009 तक प्राप्त होना था लेकिन वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।**

13.	त्रिपुरा के हस्तशिल्पों, हथकरघा, गलीचा, रेशम, जूट तथा अन्य लघु और कुटीर उद्योगों के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम	हस्तशिल्पों के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2001-02	92.84	92.84		27/27/01-राज्य	ईपीसीएच/हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम कीटपालन विभाग, त्रिपुरा सरकार से यूसी लंबित हैं। ईपीसीएच ने ईसी बैठक से दो दिन पहले 92.84.00 लाख रुपए के संबंध में यूसी की एक प्रति प्रस्तुत की।
14.	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी हाइड्रोकार्बनमुक्त सेल यार्न परियोजना स्थापित करना	त्रिपुरा सरकार	2002-03	103.20	103.20		27/7/02-इंफ्रा-II	त्रिपुरा सरकार से यूसी लंबित है।
15.	नागालैंड से हथकरघा निर्यात प्रोत्साहन की मार्गदर्शी परियोजना	मेसर्स हैंडलूम डेवलपमेंट फाउंडेशन आफ सिक्किम, नागालैंड	2002-03	205.00	205.00	परियोजना पूरी कर ली गई	27/13/01-इंफ्रा-II	**उद्योग विभाग, नागालैंड सरकार से** पहली किस्त के लिए यूसी प्राप्त हो गया है लेकिन **84 लाख रुपए की दूसरी किस्त के लिए यूसी प्राप्त नहीं हुआ है।**
16.	हस्तशिल्प कारीगरों के लिए निर्यात आधारिक सुविधा प्रशिक्षण तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन के वास्ते परियोजना	मेसर्स एपी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	2004-05	218.50	218.50		27/11/04-इंफ्रा-II	137.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यूसी प्राप्त हो चुका है। **81.50 लाख रुपए की राशि 29 मार्च, 2005 को प्रदान की गई लेकिन यूसी लंबित है। वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार से दिनांक 20.2.2009 के माध्यम से यूसी भेजने का अनुरोध किया गया है।**

17.	अरुणाचल प्रदेश से हथकरघा निर्यात के लिए मार्गदर्शी परियोजना	मेसर्स जीएन कंसल्टिंग, गाजियाबाद	2001-02	213.00	213.00	परियोजना पूरी कर ली गई	27/14/01-एससी	पहली किस्त के लिए यूसी प्राप्त हो चुका है लेकिन **92 लाख रुपए की दूसरी किस्त के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार से दिनांक 20.2.2009 के माध्यम से यूसी भेजने का अनुरोध किया गया है।**

निर्णयः लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि लंबित यूसी तत्काल प्रस्तुत किए जाएं तथा अव्ययित बकाया राशि (यदि कोई हो तो) ब्याज सहित तत्काल इस विभाग को लौटा दी जाए।

लंबित यूसी/अव्ययित बाकी राशि प्राप्त करने के लिए एपीडा को राज्य सरकारों/प्रवर्तक/संबंधित संगठन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।

ईडीएफ-एनईआर के अधीन मंजूर सभी परियोजना के संबंध में एपीडा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ भौतिक निरीक्षण करेगा और तीन महीने के समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक-1

भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1. श्री पी. के. चौधरी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग अध्यक्ष
2. श्री नीरज के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
3. श्री अनिल बांबा, निदेशक, वाणिज्य विभाग
4. श्री डी. के. भल्ला, आरसी, नागालैंड सरकार
5. श्री आर. पी. मीना, आरसी, त्रिपुरा सरकार
6. श्री डब्ल्यू. एल. हंग सिंग, आयुक्त, मणिपुर सरकार
7. श्री विजय ताल्लुकदार, डीआरसी, अरुणाचल प्रदेश सरकार
8. श्री मारतो रीबा, ओएसडी, अरुणाचल प्रदेश सरकार
9. श्री जी. के. अस्थाना, उप-निदेशक, डीसी (हस्तशिल्प), एमओटी
10. श्री लख्तरमनिया, निदेशक, व्यापार और वाणिज्य, मिजोरम सरकार
11. श्री सी. लालजिर लियाना, संयुक्त निदेशक, व्यापार और वाणिज्य, मिजोरम सरकार
12. श्री आर. के. श्रीवास्तव, ईपीसीएच, नई दिल्ली
13. डॉ. मोहम्मद नजमुद्दीन, एडीसी (हथकरघा)
14. श्री प्रहलाद राय, एनएमपीबी
15. डॉ. एम. एस. रावत, एनएमपीबी
16. श्री प्रवीन गुप्ता, महाप्रबंधक, एपीडा
17. श्री हरपाल सिंह, उप-महाप्रबंधक, एपीडा

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

भारत तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

अन्य मुद्दे - ई-वाणिज्य

डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रानिक वाणिज्य और कार्ययोजना

डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रानिक वाणिज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी

1. विश्व व्यापार संगठन में ई-वाणिज्य की उत्पत्ति

यह स्वीकार करते हुए वैश्विक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य बढ़ रहा है और व्यापार के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है, डब्ल्यूटीओ, जेनेवा के दूसरे मंत्रालयी सम्मेलन (17 से 20 मई, 1998) में व्यापार मंत्रियों ने डब्ल्यूटीओ की साधारण परिषद में इस विषय पर एक कार्ययोजना तैयार करने की घोषणा अपनाई जिससे कि इस बीच नए मंत्रालयी सम्मेलन के लिए सिफारिशें की जा सकें। **यह निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रानिक प्रेषणों पर सीमाशुल्क न लगाने की मौजूदा पद्धति लागू रखी जाए,** यह एक ऐसा निर्णय था जिसकी तीसरे मंत्रालयी सम्मेलन में भी समीक्षा की जानी थी। संबंधित डब्ल्यूटीओ निकायों को शामिल करते हुए इस कार्ययोजना को "विकासशील देशों की आर्थिक, वित्तीय तथा विकासात्मक जरूरतों" को और साथ ही इस विषय पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए जा रहे कार्य को भी ध्यान में रखना था। डब्ल्यूटीओ में

वाणिज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात पर बल दिया कि इलेक्ट्रानिक प्रेषण पर निर्यातशुल्क में ठहराव को प्रौद्योगिकीय प्रवाह तथा इस क्षेत्र में व्यावसायिकों और तकनीशियनों के मुक्त संचलन के और अधिक गतिशील क्षेत्र का पूर्वगामी होना चाहिए। जेनेवा घोषणा ने मई, 1998 से दिसंबर, 1999 के बीच इलेक्ट्रानिक वाणिज्य पर शून्य शुल्क के आधार का निर्माण किया है। सीटल में डब्ल्यूटीओ का तीसरा मंत्रालयी सम्मेलन ई-वाणिज्य संबंधी कार्ययोजना की समीक्षा नहीं कर सका। इसलिए ई-वाणिज्य पर शून्य ड्यूटी की अवधि बढ़ाए जाने के मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

2. ई-वाणिज्य संबंधी कार्ययोजना तथा डब्ल्यूटीओ के विभिन्न निकायों में चर्चा

डब्ल्यूटीओ की साधारण परिषद में सदस्यों द्वारा उठाए गए विविध बहुपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा और विचार करने की एक प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इन मुद्दों के बारे में सिफारिशें करना है। जबकि आमतौर पर इस आशय की धारणा बनी हुई है कि जिन वस्तुओं का आर्डर इलेक्ट्रानिक विधि से दिया जाता है लेकिन जिनकी सुपुर्दगी भौतिक रूप से की जाती है, उनके मामले में डब्ल्यूटीओ के मौजूदा अनुशासन लागू होते रहेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की इलेक्ट्रानिक आपूर्ति के मामलों में अनिर्णीत मुद्दे बने हुए हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ के विभिन्न निकायों में जिनमें सेवाओं में व्यापार संबंधी परिषद, वस्तुओं में व्यापार संबंधी परिषद, ट्रिप्स परिषद तथा व्यापार और विकास के लिए समिति शामिल है, विचार किया जा रहा हैः

- **लक्षण वर्णनः** इलेक्ट्रानिक प्रेषण का लक्षण वर्णन कैसे किया जाए अर्थात क्या इस तरह का प्रेषण, वस्तुएं अथवा सेवाएं अथवा कुछ अन्य है? क्या गाट के कानूनी अनुशासन इलेक्ट्रानिक साधन से सौंपे गए डिजिटीकृत अंतर्वस्तुओं, जहां तक उनका लक्षण वर्णन वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है लागू किए जा सकते हैं?

- **ई-वाणिज्य संबंधी बाजार सुलभताः** क्या इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया गया व्यापार सदस्य देशों की समय-सूचियों में निहित टैरिफ बंधनों में निर्धारित दायित्वों को बदल देगा। इलेक्ट्रानिक प्रेषणों पर सीमाशुल्क कैसे लागू किया जाना चाहिए?

- **वर्गीकरणः** डिजिटलीकृत उत्पादों का वर्गीकरण कैसे किया जाना चाहिए और ऐसे उत्पादों के मामले में वर्गीकरण की सुमेलित प्रणाली (एचएस) किस सीमा तक लागू की जा सकती है।

- **उद्गम के नियमः** इलेक्ट्रानिक वाणिज्य स्थिति में उद्गम के नियम किस सीमा तक लागू होंगे क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी ने सहज रूप से नकल करने और डिजिटलीकृत डाटा के असीमित मार्ग ने यह जानना कठिन बना दिया है कि प्रेषण वस्तुतः मूल रूप से कहां हुआ था।

- **ई-वाणिज्य संबंधी मानकीकरणः** इलेक्ट्रानिक वाणिज्य का मौजूदा विस्तार इलेक्ट्रानिक वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए जिन लेनदेन और मानकों की जरूरत है, उनकी स्वतंत्रता पर आधारित था तथा वह इस तरह के विकास को रोकने के लिए नहीं था। क्या डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित करने के अलावा सामान्य अनुशासन और सिद्धांत विकसित करना होना चाहिए?

- **कापीराइट तथा संबद्ध अधिकारः** डिजिटल नेटवर्क जिस रूप में काम करते हैं और

जिस तरह से अन्य सुरक्षित सामग्री का सृजन, उत्पादन, वितरण और प्रयोग किया जाता है, उस कारण किए गए बदलावों के आलोक में कापीराइट तथा संबद्ध अधिकारों के बारे में इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के अनेक मुद्दें प्रस्तुत होते हैं। इनमें ये शामिल हैंः प्रकाशन की परिभाषा के प्रभाव, पुनः उत्पादन का अधिकार, संचार का अधिकार, नैतिक अधिकार, अधिकार धारक, संरक्षित विषयवस्तु, सीमाएं और सामूहिक प्रबंध। इनकी तरफ कहां ध्यान दिया जाएगा?

- **सेवाओं की इलेक्ट्रानिक सुपुर्दगी के संबंध में गाट्स का कार्यक्षेत्रः** क्या सेवाओं की इलेक्ट्रानिक सुपुर्दगी सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट्स) के कार्यक्षेत्र में आएगी क्योंकि यह करार सभी सेवाओं पर लागू होता है भले ही उनकी सुपुर्दगी किसी भी साधन द्वारा होती हो? यदि गाट्स अनुशासन सेवाओं की इलेक्ट्रानिक आपूर्ति पर लागू किया जाता है तो उसका विभिन्न सेवा क्षेत्रों के संबंध में की गई पूर्व वचनबद्धताओं पर क्या प्रभाव होगा? क्या एमएफएन दायित्व इलेक्ट्रानिक माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होते हैं?

- **ई-वाणिज्य का विकासात्मक आयामः** विकासशील देशों के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के राजस्व तथा मौद्रिक प्रभावों तथा विकासशील मानव संसाधनों और इस संबंध में महत्वपूर्ण आधारिक संरचना के महत्व को ध्यान में रखने का महत्व।

- **इलेक्ट्रानिक प्रेषण पर शून्य शुल्कः** इस आशय के प्रस्ताव हैं कि ई-वाणिज्य पर शून्य शुल्क का विस्तार एक अनिश्चित अवधि तक कर दिया जाए। यदि आने वाले वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं की डिजिटीकृत सुपुर्दगी में पर्याप्त वृद्धि देखने में आती है तो क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि **भविष्य में प्रोद्भूत होने वाले संभावित राजस्व के लिए विकल्प पहले से ही बंद कर दिए जाएं?**

- **डब्ल्यूटीओ में भावी कार्यः क्या डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रानिक वाणिज्य का कार्य संबंधित सहायक निकायों में वर्तमान की तरह किया जाता रहना चाहिए अथवा क्या नितांततः इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के प्रति समर्पित एक रैखिक समूह होना चाहिए।**

यह टिप्पणी वाणिज्य विभाग की एनआईसी वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा रही है। वाणिज्य विभाग जिन मुद्दों को विशेष रूप से उठाया गया है उनके बारे में टिप्पणियों और सुझावो का स्वागत करेगा, ऐसी टिप्पणियां और सुझाव निम्न पते पर ई-मेल किए जा सकते हैंः

adas@ub.delhi.nic.in